



समाज कल्याण विभाग

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-800023, बिहार

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन

राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) अंतर्गत पटना, बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासान हेतु केन्द्र प्रयोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) का कियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संरक्षणिक देख-भाल की अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैरसंरक्षणिक देख-भाल के अंतर्गत दत्तकग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPS द्वारा निर्माकित संविदा आधारित पदों पर *ON-Line* आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी विस्तृत जानकारी www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	कोटि
1	लेखा अधिकारी	1	रामान्य
2	लेखाकार	1	सामान्य
3	लेखा सहायक	1	सामान्य
4	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला
5	परामर्शी	1	अनुसूचित जाति महिला
6	डाटा एनालिस्ट	5	सामान्य-2, अनुसूचित जाति महिला-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला-1,
7	संपादिक कार्यकर्ता	2	सामान्य-1, अनुसूचित जाति-1
8	आउटरिच वर्कर	2	पिछड़ा वर्ग महिला-2,
9	परिवीक्षा अधिकारी/ कैंस वर्कर/ बाल कल्याण अधिकारी	11	सामान्य-2, सामान्य महिला-2, पिछड़ा वर्ग-1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला-2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1, अनुसूचित जाति-1, पिछड़ा वर्ग महिला-1
10	परामर्शी (घृ)	16	सामान्य-5, सामान्य महिला-2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1, अनुसूचित जाति-2, पिछड़ा वर्ग-2, अत्यन्त पिछड़े वर्ग की महिला-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1, अत्यन्त पिछड़े वर्ग की महिला-1
11	हाउसफादर	10	सामान्य-2, सामान्य महिला-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-2, अनुसूचित जाति-1, पिछड़ा वर्ग-1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला-1, अनुसूचित जाति-1, महिला-1
12	हाउसमदर (सिर्फ महिला)	8	सामान्य-3, सामान्य पिछड़ा वर्ग-2, अनुसूचित जाति-1, पिछड़ा वर्ग-1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1
13	पारा मैडिकल स्टॉफ	18	सामान्य-3, सामान्य वर्ग महिला-2, अनुसूचित जाति-2, अनुसूचित जाति महिला-1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-3, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला-2, पिछड़ा वर्ग-2, पिछड़ा वर्ग की महिला-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1
14	नर्स(विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति-1
15	कंट्रैकर् - सह- योकेशनल इन्स्प्रैक्टर (विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति-1

2. आरक्षण:-राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जायेगा। 3. उम्र सीमा:-न्यूनतम आयु दिनांक-01.10.2019 को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र दिनांक-01.10.2019 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. नियोजन अवधि:-मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद पर संविदा आधारित होंगे जिन्हें संतोषजनक कार्य अथवा योजना के निरंतरता के आलोक में विस्तारित किया जायेगा। 5. चयन प्रक्रिया:-पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्यवाई की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा। 6. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। 7. पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनुभव, आरक्षण मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना www.socialwelfare.bih.nic.in वेब-साइट पर उपलब्ध है। 8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधी सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के अधीन है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

9. www.socialwelfare.bih.nic.in पर नियोजन से संबंधी Link उपलब्ध है। Log-in करके अभ्यर्थी सर्वप्रथम Registration करें। Registration की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई-मेल पर आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। 10. ऑनलाईन आवेदन दिनांक-01.11.2019 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक-21.11.2019 के अपराह्न 11.59 बजे तक स्वीकार होंगे। 11. राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पूर्व में नियोजन किए गए पदों के रिक्त स्थान पर नियोजन कर रही है। साथ ही नये स्वीकृत पद भी शामिल है। पूर्व का प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है। 12. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा। 13. सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जायेगा तथा पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले 03 वर्ष तक नियोजन किया जायेगा। 14. आवेदन केवल ॲन-लाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(राज कुमार)

निदेशक, समाज कल्याण-सह-

उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।